प्र. महालेखाकार (लेखापरीक्षा-।) का कार्यालय, ओड़िशा, भुवनेश्वर OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (AU-I) ODISHA, BHUBANESWAR.

OOC No. 223 Date: 10.06.2024

उप महालेखाकार (प्रशासन) ने 06/24 और 07/2024 माह हेतु निम्नलिखित अधिकारि के पक्ष में प्रशिक्षण हेतु यात्रा भत्ता के अग्रिम हेतु राशि रु35,000/- मात्र की सहर्ष संस्वीकृति प्रदान की है ।

डिफॉल्ट के रूप में जहाँ अग्रिम पूरी तरह से उपयोग न किया गया हो लेकिन समायोजन बिल समय से प्रस्तुत किया गया हो तो अग्रिम निकासी की तारीख से अग्रिम वापसी की तारीख तक अग्रिम के अप्रयुक्त हिस्से पर अग्रिमों पर नियमों के संग्रह को शामिल करते हुए जीएफआर के नियम (2) के नीचे भा.स. के निर्णय 2(i) के अनुसार ब्याज शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, डिफाल्ट के रूप में जहाँ समायोजन बिल समय से प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अग्रिम निकासी की तारीख से राशि के वसूली तक जीएफआर के नियमों के संग्रह में शामिल नियम 2 के तहत भारत सरकार के निर्णय 2(ii) के अनुसार अग्रिम की संपूर्ण राशि पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

Deputy Accountant General (Admn) has been pleased to sanction a sum of ₹35,000/-(Rupees Thirty-Five Thousand) only towards Training TA advance in favour of the following officers for the month of 06/2024 & 07/2024.

In case of default where the advance is not fully utilized but the adjustment bill is submitted in time interest will be charged as per GoI decision 2(i) below Rule 2 of the GFR incorporating the Compendium of Rules on Advances on the unutilized portion of advance from the date of drawal of advance to the date of refund of advance.

Further, in case of default where the adjustment bill is not submitted within the prescribed time, the interest may be charged on the entire amount of advance as per GoI decision 2(ii) below Rule 2 of the GFR incorporating the Compendium of Rules on Advances from the date of drawal to the date of recovery of the amount.

Sl. No.	Name and Designation S/Shri	Group	GPF/ PRAN	Amount sanctioned. (Rs.)
1.	Yasobant Swain, AAO	AMG-II	110007084668	35,000
		Total	35,000	
		(Rupees Thirty-Five Thousand) only		

अधिकारी से अनुरोध है कि वे उन स्थानों पर जहाँ सुविधा उपलब्ध है, होटल बिल आदि के भुगतान हेतु डेबिट कार्ड का उपयोग करें एवं अपने एफटीए बिलों के साथ काउंटरफॉइल को कार्यालय स्थापना अनुभाग में प्रस्तुत करें।

The officer is requested to use debit card for payment of hotel bills etc. in those places where the facility is available and submit the counterfoil along with his FTA Bills to OE Section.

हस्ता/-

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ प्रशासन Sr. Audit Officer/Admn

- 1. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / कार्या स्था. अनुभाग (02 प्रतियां) /The Sr. Audit Officer /OE Section (two copies).
- 2. वेतन एवं लेखा अधिकारी (स्थानीय)/The Pay and Accounts Officer (Local).
- 3. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ Sr. Audit Officer (Coord)/ AMG-II.
- 4. वेबसाइट प्रदर्शन के लिए/ स. ले. प. अ. / डीए और आरसी/ AAO/ DA & RC for website display.
- 5. अतिरिक्त प्रतिलिपि/ Spare Copy.

6. का.आ.ग. गार्ड फाइल /OOC Guard file.

्राह्मी पुष्टी (०)७६/२०२५ वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन

Sr. Audit Officer/Admn